प्राक्कथन

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जाने हैं। इस प्रतिवेदन के अध्याय III के प्रकरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (अ) के अंतर्गत सरकार द्वारा यह भाग विधानमण्डल में प्रस्तुत करना हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय - I** नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संपादित सरकारी विभागों के सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर - सा क्षे उ) के व्यय की लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस अध्याय में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विभागों/स्वायत निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय - II** में नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संपादित राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय - III** सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबंधित हैं। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा (इन कम्पनियों में वह कम्पनियाँ भी सम्मिलित हैं, जिन्हें कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कम्पनी माना गया है) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धाराओं 139 एवं 143 के अंतर्गत नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा संबंधित विधायिका के अंतर्गत की जाती है। सरकार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(अ) के अंतर्गत राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करना होता है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण सम्मिलित हैं जो वर्ष 2014-15 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में संज्ञान में आये, साथ साथ वे प्रकरण भी सम्मिलित हैं, जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आये थे, पर पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके, वे प्रकरण जो 2014-15 के अनुगामी अवधि से संबंधित हैं परन्तु वर्ष 2014-15 से संबंधित हैं, जहाँ जहाँ आवश्यक थे, सम्मिलित किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुरूप लेखापरीक्षा का सम्पादन किया गया है।